भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1807

उत्तर देने की तारीख : 29.07.2026

दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में अल्पसंख्यकों हेतु लागू की गई योजनाएं

1807. श्री राजू बिष्ट:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान दार्जिलिंग एवं कलिम्पोंग जिलों में मैट्रिक पूर्व, मैट्रिक-पश्चात तथा मेधा-सह-साधन छात्रवृत्तियों एवं एनएमडीएफसी ऋण योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) सहित विभिन्न अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत दार्जिलिंग एवं कलिम्पोंग जिलों में आवंटित एवं उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दार्जिलिंग एवं कलिम्पोंग जिलों सहित पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अंतर्गत स्वीकृत अवसंरचना परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) एवं (ख): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत में छह (6) अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों, अर्थात् बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी तथा सिख समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निम्नलिखित योजनाओं को लागू करता है:

छात्रवृत्ति

भारत सरकार का अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, देशभर में छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाओं, अर्थात् मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन करता है। इन तीनों छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन वर्ष 2021-22 के बाद नहीं किया जा रहा है। तथापि, वर्ष 2021-22 के बाद भी प्रतिबद्ध देयताओं के रूप में निधियाँ जारी की गई हैं।

दार्जिलिंग एवं कलिम्पोंग जिलों में पिछले पाँच वर्षों के दौरान वितरित छात्रवृत्तियों का जिला-वार, वर्ष-वार तथा श्रेणी-वार विवरण **अनुबंध-क** में दिया गया है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) देशभर में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के "पिछड़े वर्गों" के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए स्वरोजगार एवं आय-सृजन संबंधी उद्यमों हेतु रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर अपनी योजनाओं का कार्यान्वयन करता है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान दार्जिलिंग एवं कलिम्पोंग जिलों में NMDFC की रियायती ऋण योजनाओं के अंतर्गत आवंटित/उपयोग की गई निधियों तथा श्रेणी-वार लाभार्थियों का विवरण क्रमशः **अनुबंध-ख** एवं **अनुबंध-ग** में दिया गया है।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK), जिसे वर्ष 2013-14 तक बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP) के नाम से जाना जाता था, एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, कौशल विकास, शिक्षा, महिला-केंद्रित परियोजनाओं, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढांचे का सृजन करना है।

PMJVK एक मांग-आधारित योजना है तथा इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अथवा जिला-वार निधियों का आवंटन नहीं किया जाता है।

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS)

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, जिसमें पूर्ववर्ती पाँच योजनाओं, अर्थात् 'सीखो और कमाओ', 'नई मंजिल', 'नई रोशनी', 'हमारी धरोहर' तथा 'USTTAD' का समेकन किया गया है तथा यह भारत के छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर केंद्रित है।

PM VIKAS योजना के अंतर्गत 59 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIAs) को कुल 877.92 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें से अब तक 207.52 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। चूंकि PM VIKAS एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसलिए इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई निधि आवंटित नहीं की जाती है।

जियो पारसी

जियो पारसी वर्ष 2013-14 में प्रारंभ की गई केंद्रीय क्षेत्र की एक विशिष्ट योजना है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और संरचित हस्तक्षेपों के माध्यम से पारसी आबादी में हो रही गिरावट की प्रवृत्ति को रोकना, उनकी जनसंख्या को स्थिर करना तथा भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या में वृद्धि करना है।

जियो पारसी योजना एक मांग-आधारित योजना है और यह देशभर में पारसी समुदाय के पात्र सदस्यों के लिए उपलब्ध है। जियो पारसी योजना के अंतर्गत दार्जिलिंग एवं कलिम्पोंग जिलों से कोई लाभार्थी दर्ज नहीं किया गया है।

(ग): PMJVK योजना के अंतर्गत इसके प्रारंभ से अब तक दार्जिलिंग एवं कलिम्पोंग जिलों के लिए स्वीकृत अवसंरचना परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-घ** में दिया गया है।

अनुबंध-क

'दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में अल्पसंख्यकों हेतु लागू की गई योजनाएं' विषय पर श्री राजू बिष्ट द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 29.07.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1807 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए दार्जिलिंग एवं कलिम्पोंग का वर्ष-वार एवं योजना-वार उपलब्धियों का विवरण

वर्ष	जिला	मैट्रिक-पूर्व								मैट्रिकोत्तर								मेरिट-सह-साधन							
		मुस्लिम	ईसाई	सिख	जैन	पारसी	बौद्ध	कुल	धनराशि	मुस्लिम	ईसाई	सिख	जैन	पारसी	बौद्ध	कुल	धनराशि	मुस्लिम	ईसाई	सिख	जैन	पारसी	बौद्ध	कुल	धनराशि
2021-22	दार्जिलिंग	0	5	0	0	0	0	5	15600	17	33	0	1	0	38	89	781034	31	7	1	0	0	15	54	1511410
	कलिम्पोंग	0	3	0	0	0	0	3	12400	1	11	0	0	0	8	20	186963	2	0	0	0	0	4	6	150810
2022-23	दार्जिलिंग	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	3	13	145800	4	0	0	0	0	3	7	170000
	कलिम्पोंग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	13800	1	0	0	0	0	1	2	55000
2023-24	दार्जिलिंग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कलिम्पोंग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024-25	दार्जिलिंग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कलिम्पोंग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-26	दार्जिलिंग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कलिम्पोंग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल		**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**28000**	**21**	**52**	**0**	**1**	**0**	**49**	**123**	**1127597**	**38**	**7**	**1**	**0**	**0**	**23**	**69**	**1887220**

अनुबंध-ख

'दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में अल्पसंख्यकों हेतु लागू की गई योजनाएं' विषय पर श्री राजू बिष्ट द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 29.07.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1807 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

जिला	योजना का नाम (सावधि ऋण/सूक्ष्म वित्त/ शिक्षा ऋण/विरासत योजना)	वित्तीय वर्ष	आवंटित राशि (लाख रुपये में)	संवितरित राशि (लाख रुपये में)	सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक लाभार्थियों की संख्या
दार्जिलिंग	सावधि ऋण	2021-22	211.00	209.19	181
	सूक्ष्म वित्त		280.00	269.68	1353
	शिक्षा ऋण		5.00	4.18	3
	सावधि ऋण	2022-23	150.00	129.77	169
	सूक्ष्म वित्त		282.00	280.97	1444
	शिक्षा ऋण		5.00	0.00	0
	सावधि ऋण	2023-24	150.00	148.68	143
	सूक्ष्म वित्त		200.00	177.35	887
	शिक्षा ऋण		5.50	4.22	1
	सावधि ऋण	2024-25	150.00	60.75	71
	सूक्ष्म वित्त		200.00	92.83	341
	शिक्षा ऋण		8.00	0.00	0
	सावधि ऋण	2025-26	180.00	171.76	174
	सूक्ष्म वित्त		250.00	248.95	854
	शिक्षा ऋण		17.00	14.20	4
	सावधि ऋण	2026-27 (30.06.2026 तक)	180.00	0.00	0
	सूक्ष्म वित्त		250.00	0.00	0
	शिक्षा ऋण		19.00	0.00	0

अनुबंध-ग

'दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में अल्पसंख्यकों हेतु लागू की गई योजनाएं' विषय पर श्री राजू बिष्ट द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 29.07.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1807 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

जिला	योजना का नाम (सावधि ऋण/सूक्ष्म वित्त/ शिक्षा ऋण/विरासत योजना)	वित्तीय वर्ष	आवंटित राशि (लाख रुपये में)	संवितरित राशि (लाख रुपये में)	सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक लाभार्थियों की संख्या
कलिम्पोंग	सावधि ऋण	2021-22	70.00	66.22	78
	सूक्ष्म वित्त		100.00	91.79	454
	शिक्षा ऋण		4.50	2.12	3
	सावधि ऋण	2022-23	50.00	39.90	83
	सूक्ष्म वित्त		100.00	78.10	489
	शिक्षा ऋण		5.00	0.00	0
	सावधि ऋण	2023-24	103.00	101.27	123
	सूक्ष्म वित्त		100.00	84.73	378
	शिक्षा ऋण		5.00	0.00	0
	सावधि ऋण	2024-25	50.00	22.23	32
	सूक्ष्म वित्त		150.00	130.25	423
	शिक्षा ऋण		6.00	0.00	0
	सावधि ऋण	2025-26	100.00	87.69	103
	सूक्ष्म वित्त		160.00	156.70	519
	शिक्षा ऋण		7.00	0.00	0
	सावधि ऋण	2026-27 (30.06.2026 तक)	100.00	0.00	0
	सूक्ष्म वित्त		160.00	0.00	0
	शिक्षा ऋण		8.00	0.00	0

अनुबंध-घ

'दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में अल्पसंख्यकों हेतु लागू की गई योजनाएं' विषय पर श्री राजू बिष्ट द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 29.07.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1807 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

रु. लाख में

जिले का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत इकाइयों की संख्या	स्वीकृत कुल लागत	स्वीकृत केंद्रीय हिस्सेदारी
दार्जिलिंग	विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाएँ/ पुस्तकालय/प्रयोगशाला/हॉल	220	1616.81	1018.735
	आंगनवाड़ी केन्द्र (AWC)	227	1857.33	1303.65
	सामुदायिक सेवा केन्द्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक भवन	7	490	294
	पेयजल	40	90	45
	स्वास्थ्य परियोजनाएँ	18	270	202.5
	विद्यालय/आईटीआई/पॉलिटेक्निक हेतु छात्रावास	6	653.07	408.65
	आईटीआई/आईटीआई हेतु अतिरिक्त अवसंरचना	3	3773.66	1500
	गैर-सिविल कार्य – साइकिल/ फर्नीचर/उपकरण/प्रशिक्षण	1869	56.98095	50.64821
	विद्यालयों में अन्य अवसंरचना	1	5	2.5
	विद्यालय भवन	9	108	70.2
	विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएँ/कंप्यूटर प्रयोगशाला/शिक्षण सहायक सामग्री	1	6	4.5
	कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास	1	70	42
कलिम्पोंग	स्वास्थ्य परियोजनाएँ	4	0	0
	विद्यालय/आईटीआई/पॉलिटेक्निक हेतु छात्रावास	2	224	134.4
	गैर-सिविल कार्य – साइकिल/फर्नीचर/उपकरण/प्रशिक्षण	60	5.4	5.4
	विद्यालय भवन	1	575	345
कुल योग		**2465**	**9801.25095**	**5427.18321**
